न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद संख्या 106/2014

उनवान

नारायण सिंह वगै0 बनाम जगदीश सिंह

1. नारायणसिंह पुत्र नैनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. महावीरसिंह पुत्र नैनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. सुमेरसिंह पुत्र नैनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. भंवरकंवर पत्नी सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–वादीगण

बनाम

1. जगदीशसिंह उर्फ जगुसिंह पुत्र नैनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं। (मृतक)

1/1. सायर कंवर बेवा जगदीशसिंह उर्फ जगुसिंह

1/2. प्रदीप पुत्र जगदीशसिंह उर्फ जगुसिंह

1/3. मनोहर पुत्र जगदीशसिंह उर्फ जगुसिंह

1/4. सुमन कंवर पुत्री जगदीशसिंह उर्फ जगुसिंह

2. किरणकंवर पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. छगनकंवर पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. इन्दिरा कंवर पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. लक्ष्मीकंवर पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. बाबुकंवर पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7. मगनकंवर पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाडसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा सचिव शाखा चूड़ी अतरपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
9. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नुआ जरिये शाखा सचिव नुआ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
10. भूमि अधिकारी तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनूं।

––प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. **श्री रणजीत सिंह :– वादीगण की ओर से।**
2. **श्री महिपाल सिंह कपूरिया :– प्रतिवादीसंख्या 01 की ओर से।**

दावा–बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक : 19.08.2021**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम लाडसर की सरहद में भूमि वर्तमान ख.नं. 8 तादादी 2.82 हैक्टर, ख.नं. 87 तादादी 0.05 हैक्टर, ख.नं. 211 तादादी 0.14

हैक्टर, ख.नं. 212 तादादी 0.02 हैक्टर ख.नं. 213 तादादी 2.38 हैक्टर कुल किता 5 कुल तादादी 5.41 हैक्टर अवस्थित है। इस जमीन के सेटलमेन्ट से पहले गत ख.नं. 4 तादादी 11 बीघा 3 विश्वा गत ख.नं. 41 तादादी 4 विश्वा व गत ख.नं. 80 तादादी 10 बीघा 1 विश्वा थे। जमीन जैर बहस वर्णित धारा 1 वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की पैत्रिक सम्पति है व इस जमीन में वादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादी सं. 1 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है व वादीया नं. 4 व प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 का शामिल में 1/5 हिस्सा है व इसी प्रकार से काश्त करते हैं व काबिज है। जमीन जैर बहस के बाबत एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के यहां दावा उनवानी महावीरसिंह बनाम जगदीशसिंह वगैर दावा बाबत घोषणार्थ मु.स. 93/98 चला था जो कि दिनांक 21.01.2006 को दावा डिक्री किया गया व जमीन जैर बहस में वादीगण का 1/5 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/5 हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/5 हिस्सा व 1/5 हिस्सा सोहनसिंह पुत्र नैनसिंह का माना था उक्त सोहनसिंह का देहान्त हो चूका है। व वादीया सं. 4 व प्रतिवादीयागण 2 लगायत 7 उक्त सोहनसिंह के वारिस होने से 1/5 हिस्सा वादी सं. 4 व प्रतिवादीया सं. 2 लगायत 7 का शामिल में रहा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा रहा उक्त निर्णय अंतिम है। अदालत हाजा के मु.स. 83/98 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2006 की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया है। तहसीलदार जी ने व एस.डी.ओ. साहब ने नामान्तरकरण के आदेश पारित कर दिये परन्तु पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण भरकर तस्दीक होने के लिये पेश नहीं किया है। अदालता हाजा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2006 में जगमालसिंह पुत्र डालसिंह का कोई हक व हिस्सा नहीं माना व जगमालसिंह के हक में तस्दीक नामान्तरकरण को भी खारिज किया है। प्रतिवादी नं. 1 जगदीशसिंह उर्फ जगुसिंह बाहर चुरू में पंचायत विभाग में नौकरी करता है। व नौकरी से छुट्टी आते ही वादीगण को अपने हक व हिस्से की जमीन काश्त करने में रूकावट डालता है व कहता है कि शामिल में काश्त नहीं करने दूंगा व जमीन को नाकाबिले काश्त करने की धमकी देता है व कहता है कि राजस्व कर्मचारी उसके असर में है व वह ना तो नामान्तरकरण तस्दीक करने देगा व ना ही वादीगण को जमीन काश्त करने देगा व जमीन जैर बहस पर खड्डे खोदकर के पेड़ काटकर के जमीन को नाकाबिले काश्त कर देगा। दिनांक 22.06.2014 को बरसात होने पर वादीगण अपने हक व हिस्से की जमीन काश्त करने गये तो प्रतिवादी सं. 1 ने धमकी दी की जमीन को काश्त नहीं करने दूंगा व जमीन जैर बहस को खड्डे खोदकर के नाकाबिले काश्त कर दूंगा व वादीगण ट्रेक्टर लेकर काश्त करने गये थे तो प्रतिवादी ने काश्त नहीं करने दी इस कारण से यह दावा करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हक व हिस्से की जमीन का बंटवारा करवाना चाहते हैं व लगान का भी बंटवारा कर वादीगण को उनके हक व हिस्से की जमीन का विधिवत बंटवारा किया जावे व लगान का भी बंटवारा किया जावे। 1/5 हक व हिस्से के खातेदार वादीया नं. 4 व प्रतिवादीया सं. 2 लगायत 7 है। वादीया सं. 4 व प्रतिवादीया सं. 2 लगायत 7 का अपने 1/5 हक व हिस्से की जमीन का शामिल में अलग से बंटवारा किया जावे व लगान का भी विधिवत बंटवारा किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को उनके हक व हिस्से की प्रत्येक का 1/5 हक व हिस्से पर काश्त करने से व फसल लाटने से रूकावट ना तो स्वयं डाले व ना किसी अन्य से डलवाये। दावा हाजा के लिये बिनायमुखासमत दिनांक 22.06.2014 को बरसात होने पर वादीगण को काश्त करने से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा रोकने पर अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ।

वाद वादीगण पेशकर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर के घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे (क) घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे कि धारा 1 वाद पत्र में वर्णित जमीन का व लगान का विधिवत बंटवारा किया जाकर के वादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादी सं. 1 को प्रत्येक को 1/5 हक व हिस्से का व वादीगण 4 व प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 का शामिल में 1/5 हक व हिस्से का बंटवारा किया जाकर लगान

का भी बंटवारा किया जावे व इसी प्रकार से अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। (ख) प्रतिवादी नं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को उनके हक व हिस्से की जमीन पर काश्त करने से रूकावट ना तो स्वयं डाले व ना किसी अन्य से डलवाये व ना कोई ऐसा कृत्य करे जिससे वादीगण के काश्त में दखल हो।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। प्रतिवादी गण संख्या 2 लगायत 7 व 8 की तामिल विधिवत रूप से होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतवादी संख्या 9 की ओर से जबाव पेश नहीं करने पर जबाव देही बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जबाव दावा मय बयान मजीद पेश किये गये जिन्हे शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु होने के पश्चात विधि वारिसों को रिकार्ड पर लेने हेतु कायम मुकाम पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादी के वारिसों को पक्षकार 1/1 से 1/4 बनाये गये। प्रकरण में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विधि वारिसान 1/1 से 1/4 द्वारा न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाडसर तहत तहसील झुन्झुनू स्थित भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 2.82 है., 87 रकबा 0.05 है., 211 रकबा 0.14 है., 212 रकबा 0.02 है., 213 रकबा 2.38 है. कुल किता 5 कुल रकबा 5.41 है. वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की पैतृक संपति है। इस जमीन में वादीगण 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 का हिस्सा 1/5 है व वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 का 1/5 हिस्सा है इसी प्रकार से हिस्से के अनुसार काश्त करते हैं व काबिज हैं। राजीनामा के अनुसार जमीन जैर बहस का बंटवारा किया दिया जावे व लगान का भी बंटवारा किया जावे। जमीन में रास्ता का भी अंकन किये जाने बाबत पेश किया है। उक्त राजीनामा बाबत वकील बहस पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दावा में वर्णित तथ्यों, वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उपरोक्त तथ्यों व राजीनामा के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अत :-

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि ग्राम लाडसर तहत तहसील झुन्झुनू स्थित भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 2.82 है., 87 रकबा 0.05 है., 211 रकबा 0.14 है., 212 रकबा 0.02 है., 213 रकबा 2.38 है. कुल किता 5 कुल रकबा 5.41 है. में वादीगण 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 को हिस्सा 1/5 है., वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदअनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 19.08.2021 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू